

कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

आदेश अभिलेख सं० 119/1718 (अन्वयत धारा 4(h) BFR Act, 1950)

आदेश पत्रक सं० _____ से _____ तक

आदेश का प्रकार :- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रम सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश का दिनांक
1117	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपाठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा <u>3-31/14/15</u> थाना <u>बोरवा</u> खाता सं० <u>513</u> प्लॉट सं० <u>2294</u> रकबा <u>3-33</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० _____ पृष्ठ सं० _____ पर जमाबंदी रैयत <u>आशु कुमारी</u> पिता/पति का नाम _____ से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>2.12.17</u> को उपस्थापित करें।</p>	
	<p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"><u>अभिलेख उपस्थापित /</u> <u>रा० उप नि० / अंचल नि० ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा अठारा बाड़ी में खाता सं० 513 मौजूद नहीं है। अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</u></p>	<p>अंचल अधिकारी तोरपा</p> <p style="text-align: right;"><u>28.9.21</u> <u>अ० अ०</u> <u>तोरपा</u></p>

सेवा में

श्री. डॉ. होरपा

उक्त शक्ति संकी. ७ दही नहीं जाना जाना बरुं उक्त
जाव में 513 तक खाता नहीं है। उक्त उक्त की
पर 4H की करवाई नहीं की जा सकती है।

अनुभव

शक्ति संकी. 7 दही - आंखों की
में 513 तक खाता नहीं है।

उक्त 4H की करवाई
समाप्त की जा सकती है।

श्री. डॉ.
LF

28-9-21